राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–प.10(8) परि/लेखा/जलेस/2014–15/ 7798 दिनांक 21/4/16

कार्यालय आदेश संख्या : 16

विषय :– सीएजी एवं जन लेखा समिति प्रतिवेदनों में आक्षेपित वाहन एवं राशि को अनुपालना में अदेय सूचित करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत सीएजी प्रतिवेदन वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 की विभाग द्वारा की गई अनुपालना पर जन लेखा समिति 2014–15 द्वारा क्रमशः 9वां, 10वां एवं 11वां प्रतिवेदन जारी किया गया है। सीएजी प्रतिवेदनो की अनुपालना में अदेय दर्शायी गई राशि को जन लेखा समिति द्वारा मान्य नहीं किया जाकर सिफारिश की गई कि "राशि अदेय होने के कारणों को यथा समय अभिलेखों में दर्ज नहीं करने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सूचित करें, एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए ठोस कदम उठाये जाये।"

पूर्व में भी कार्यालय आदेश सं. 33/2014 दि. 27.10.2014 एवं 14/2015 दि. 22.05.2015 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि किसी भी कारण से वाहन की कर देयता समाप्त होने पर कर खातों एवं पंजीयन लेखों में तत्समय ही कारणों सहित प्रविष्ठि की जावें। आक्षेप को सीएजी प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के उपरान्त आक्षेपित राशि को अदेय बताया जाना मान्य नहीं होगा। किन्तु विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशो की पालना अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नहीं की जा रही है।

अतः पुनः एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जावें कि किसी भी कारण से (यथा वाहन का अर्न्तजिला कर चुकता प्रमाण पत्र जारी होने, पुनः पंजीयन होने, पंजीयन प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र समर्पित होने आदि) वाहन की कर देयता समाप्त होती है तो कारणों सहित तत्काल प्रविष्ठि कर खातों एवं पंजीयन लेखों में सुनिश्चित होवें।

आक्षेप को सीएजी एवं पीएसी प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के उपरांत अनुपालना में आक्षेपित राशि को अदेय दर्शाये जाने की स्थिति में जिला परिवहन अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उत्तरदायी होगें एवं उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दि. 30.04.2016 तक वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को प्रेषित करें, जिससे जन लेखा समिति को समेकित पालना तैयार कर प्रस्तुत की जा सके।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव
परिवहन आयुक्त

क्रमांक : प. 10 (8) परि/लेखा/जलेस/2014–15/7799-7805 जयपुर, दिनांक: 21/4/16

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. समस्त अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना संबंधित टिप्पणी आंतरिक निरीक्षण के समय प्रतिवेदन में ली जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट।
7. उप वित्तीय सलाहकार, लेखाधिकारी (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)।

(जे.पी.मीणा)
वित्तीय सलाहकार

निर्धारित प्रपत्र

कार्यालय प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, ...

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर ली गई है एवं वाहनों की देय कर राशि अदेय होने के कारणों की प्रविष्टि तत्समय ही लेखों में की जाती है/की जानी प्रारंभ कर दी गई है।

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
.....